पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय श्रीमन राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि — 1454—PBR—16

रमेशचंद्र पिता नरसिंह जाति कुलमी उम्र 40 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम तिरला तह0 जिला धार

...............निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ....विपक्षी

श्री ...... चतुर्वेदी अभि. को द्वारा आज दि. 10.5.16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि यथाकथित मूल आज्ञा हुई है उसके विरूद्ध मैने विधिवत एक अपील श्रीमान कलेक्टर महोदय धार के यहां मूल आज्ञा जिसके संबंध में सूचना पत्र है जो धारा 146 भूरासं का कहा गया है वह नोटिस विधिक नही है उसका आधार विधिक नही है वह आधार व मूल आज्ञा जिसका प्रवर्तन नायब तहसीलदार महोदय धार कर रहे है जिसके विरूद्ध याने राजस्व प्रकरण क्रमांक 32/2011—12/अ—2 में पारित आज्ञा दिनांक 19.06.2012 की हमने विधिवत अपील पेश की है जो विचाराधीन है व उसमें सुनवाई के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय धार के यहां दिनांक 27.04.2016 नियत है ऐसी दशा में आज्ञा अपील में रेससब्जीड्यूस है अतः नायब तहसीलदार महोदय धार का राजस्व प्रकरण क्रमांक 0/2014—15/बी—121 जिसमें नंबर नही है उक्त नोटिस दिनांक 14.03.2016 को जारी किया गया है अतः कार्यवाही का प्रारंभ दर्ज नोटिस व वसूली का विधिक नही है मूल आज्ञा ही हमारे विरूद्ध विचाराधिकार रहित है शून्य है अतः ऐसी दशा में उस पर से की गई कार्यवाही व्यर्थ है उसे निगरानी में लेकर अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज यह याचना दिनांक 14.03.2016 के विरूद्ध निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 1454-अध्यक्ष / 2016 [रमेशचंद /शासन] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.8.16	आवेदक अभिभाषक को सुना गया । उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के मूल आदेश की अपील उनके द्वारा कलैक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है । उक्त तथ्य को देखते हुये इस न्यायालय में प्रस्तुत यह निगरानी इन निर्देशों के साथ समाप्त की जाती है कि आवेदक के द्वारा वसूली की कार्यवाही को स्थगित कराये जाने के संबंध में आगामी 3 माह में अपीलीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त किये जावे । उक्त 3 माह की अवधि अथवा कलेक्टर के द्वारा स्थगन के संबंध में निर्णय लिये जाने तक वसूली की कार्यवाही स्थगित की जाती है । अध्यक्ष	